अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या–02/2010

धारा–6 (A) ई0सी0 एक्ट अन्तर्गत

राज्य द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व .....आवदेक

बनाम

1. मो0 मोजीबुर रहमान, शिक्षक, प्रा0वि0विक्रमपट्टी, सदर, पूर्णियाँ।
2. मो0 नजरूल, पिता–मैनुल हक (मजदुर) सा0–शोभागंज, विक्रमपट्टी, सदर, पूर्णिया। .....विपक्षीगण

आ दे श

यह वाद प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा दर्ज प्राथमिकी के0 हाट थाना कांड सं0 365/09 दिनांक 05.09.2009 के आधार पर प्रारंभ की गई है। विपक्षी सं0 1 मध्याहन भोजन योजना का एक बोरा चावल विपक्षी संख्या 2 के साथ कालाबाजारी के उद्देश्य से विद्यालय से ले जा रहे थे रास्ते में ग्रामीणों द्वारा पकड़कर चावल को कौसर के धर रखकर ग्रामीणों ने धटना की लिखित सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दिया। सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा जप्त चावल का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं की गई हैं।

दिनांक 19.11.2010 को विपक्षी अनुपस्थित थे। पूर्व में दिनांक 02.03.2010 एवं 26.03.2010 के उपस्थित होने के वाद लगातार विपक्षी अनुपस्थित थे। दिनांक 16.08.2010 को विपक्षी को अंतिम मौका देते हुए प्रतिउत्तर दायर करने एवं न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इसके बाबजूद भी विपक्षी पुनः इससे स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया विपक्षी जान–बुझकर वाद का निष्पादन में विलम्ब करने के उद्देश्य से अनुपस्थित रहे, इसलिए आवेदक के आवेदन को स्वीकार करने की मांग किया गया।

A

सूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3
	पुनः दिनांक 25.05.2012 को सुनवाई हेतु अभिलेख रखा गया। उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख मे उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने के वाद स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा अपने बचाव हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया। आवेदक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी के उपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है एंव आवेदक के अनुरोध के आलोक में जप्त चावल को राजसात करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के माध्यम से राजसात किये गये चावल को बिक्री करवाकर बिक्री राशि चलान द्वारा जमा कर चलान की प्रति के साथ सूचित करेगे। इसके साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है। *लेखापित एवं संशोधित।* समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	